सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ, 1944 (श०)

संख्या – 29 राँची, मंगलवार, 24 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग |

संकल्प

5 दिसम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-558/2014 का.- 7623--श्री राम कुमार मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-637/03, गृह जिला- दरभंगा, बिहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओरमांझी के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-201, दिनांक 09.02.2010 द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी थाना कांड सं०-26/2008 के अनुसंधान में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 का उल्लंघन करते हुए आठ राजस्व वादों में श्रीमती मेनन एक्का, पति-श्री एनोस एक्का, ग्राम-ठाकुर टोली, थाना एवं जिला-सिमडेगा को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है एवं उक्त के आलोक में श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन की अनुशंसा की गई ।

उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री मंडल को विभागीय आदेश सं०-6195, दिनांक 13.10.2010 द्वारा निलम्बित किया गया तथा विभागीय स्तर पर इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' का गठन किया गया, जिसमें निम्नांकित आरोप गठित किये गये-

(i) श्री रामकुमार मंडल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओरमांझी (राँची) द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आठ राजस्व वादों में श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है ।

(ii) यह इनके कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं सरकारी नियमों के प्रतिकूल कार्य करने के आचरण का द्योतक है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही जनजातीय हितों के प्रति इनकी उदासीनता प्रदर्शित करता है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6196, दिनांक 13.10.2010 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1781, दिनांक 22.09.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री मंडल के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-947, दिनांक 02.02.2012 द्वारा श्री मंडल को निलम्बन से मुक्त करते हुए प्रमाणित आरोपों के आलोक में निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया-

(i) इनकी तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है,

(ii) प्रोन्नति की देय तिथि से अगले तीन वर्षों तक इनकी प्रोन्नति बाधित,

(iii) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा ।

विभागीय आदेश सं०-8926, दिनांक 31.07.2012 द्वारा श्री मंडल की दिनांक 13.10.2010 से 01.02.2012 तक की निलम्बन अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97 के अंतर्गत निम्नवत् विनियमित किया गया

(i) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ अन्य देय नहीं होगा ।

(ii) इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवाओं के लिये की जा सकेगी ।

अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री मंडल द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3361, दिनांक 26.04.2016 द्वारा श्री मंडल द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया ।

उक्त के विरूद्ध श्री मंडल द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में रिट याचिका W.P(S) No.-3818/2016 (श्री रामकुमार मंडल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 को पारित आदेश में श्री मंडल के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए विषयाधीन मामले में अनुशासनिक प्राधिकार को नये सिरे से निर्णय लेने को आदेश दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"As a cumulative effect of the discussions made above, the impugned order cannot be sustained in the eye of law accordingly, impugned orders dated 02.02.2012 and 26.04.2016 are quashed. The matter is remitted back to the Disciplinary Authority for taking decision afresh. As it has been submitted by the learned senior counsel for the petitioner that the petitioner is going to retire in the month of February, 2021, it is expected that the Disciplinary Authority will take a fresh decision taking into account that the petitioner is going to retire in the month of February, 2021.

The writ petition stands allowed and disposed of."

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-947, दिनांक 02.02.2012, जिसके द्वारा श्री मंडल पर दण्ड अधिरोपित किया गया है तथा विभागीय संकल्प सं0-3361, दिनांक 26.04.2016, जिसके द्वारा श्री मंडल के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है, को निरस्त करते हुए विभागीय संकल्प सं०-3114, दिनांक 09.07.2021 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-63, दिनांक 31.12.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-1 एवं 2 अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-2249, दिनांक 08.04.2022 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से विभागीय मंतव्य की माँग की गई, जिस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-3082(9)/रा०, दिनांक 09.09.2022 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर सहमति संसूचित की गई है ।

संबंधित मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी विरूद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई का आधार दर्ज निगरानी थाना कांड सं०-26/2008 है, जिसे बाद में जाँच हेतु CBI को हस्तांतरित कर दी गई थी। CBI द्वारा लगाये गये सारे आरोप को आरोपी पदाधिकारी द्वारा दायर Cr.M.P. No. 2773/12 में दिनांक 05.12.2014 को पारित आदेश में निरस्त कर दिया गया है तथा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध संकल्प संख्या-947 दिनांक-07.07.12 द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं विभागीय संकल्प संख्या-3361 दिनांक-26.04.2016 द्वारा अस्वीकृत अपील आवेदन संबंधी आदेश को W.P(S) No.-3818/2016 में दिनांक 23.11.2020 को पारित न्यायादेश में निरस्त कर दी गई है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के पश्चात् पुनः नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में ही विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3082(9)/रा०, दिनांक 09.09.2022 द्वारा भी जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर सहमति संसूचित की गई है ।

अतः समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राम कुमार मंडल, झा०प्र०से०,तत्कालीन अंचलाधिकारी, ओरमांझी, राँची, सम्प्रति सेवानिवृत को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राम कुमार मंडल, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 29 -- 50